न्यायालय नायब तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

मु.नं. 24/2014

निर्णय दिनांक

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का तख्तपुरा तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर प्रार्थी

बनाम

रामप्रताप पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन चक 2 डी.एल हरिनगर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर अप्रार्थी

अन्तर्गत राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22

—निर्णय—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का तख्तपुरा ने दिनांक 15.10.2014 को रिपोर्ट मय प्रपत्र पी.14 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी रामप्रताप पुत्र हरीराम जाति जाट साकिन चक 2 डी.एल हरिनगर तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर ने चक 5 टी.एम के मु.न. 145/06 कि.न. 13 ता 18 = 6.00 बीघा आ.क., कृषि सम्वत् 2071 फसल खरीफ में अतिक्रमण कर ग्वार की फसल काश्त कर ली है।

रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थी को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। अप्रार्थी की तरफ से पिता हरिराम ने दिनांक 30.10.2014 को जवाबमय स्थगन आदेश प्रस्तुत किया, जो माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ द्वारा दिनांक 17.10.2012 को जारी किया था। अप्रार्थी के पिता को स्थगन की नवीनतम जानकारी प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया।

तत्पश्चात पटवारी हल्का तख्तपुरा द्वारा दिनांक 28.09.2015 को उक्त रकबे पर अप्रार्थी द्वारा कृषि सम्वत् 2072 फसल खरीफ में अतिक्रमण कर ग्वार की फसल काश्त करने की पी.14 रिपोर्ट पुनः पेश की गई। रिपोर्ट प्राप्त होने पर गैरसायल के विरूद्व प्रकरण संख्या 19 वर्ष 2015 राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को अपना पक्ष/जवाब प्रस्तुत करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस अप्रार्थी के पिता हरिराम द्वारा तामिल किया गया। दिनांक 28.10.2015 को अप्रार्थी की तरफ से पिता हरिराम ने जवाबमय स्थगन आदेश व ऑर्डरशीट की प्रति की। पत्रावली संख्या 19 वर्ष 2015 को पूर्व पत्रावली संख्या 24/2014 के साथ जूज की गई।

माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी छतरगढ में विचाराधीन वाद संख्या 105 वर्ष 2012 किस्म मुकदमा 212 आरटीए एवं किस्म मुकदमा 88,188 आर.टी.ए, 136 एल.आर.ए व 21 (1) ए में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद दिनांक 04.09.2019 को खारिज कर दिया गया है। अतः मूल वाद पत्र का निस्तारण होने से स्थगन आदेश भी खारिज हो गया है। अतः गैरसायल के विरूद्व ईकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कोई व्यक्ति उपनिवेशन क्षेत्र में बिना किसी विधिक अधिकार के किसी भूमि पर काबिज होने अथवा लगातार काबिज रहने की स्थिति मे अतिक्रमी माना जावेगा तथा उसे इस धारा के प्रावधानो के तहत तहसीलदार द्वारा बेदखल किया जावेगा। ऐसा अतिक्रमी 50 गुना लगान की शास्ति तक दण्ड का भागी व पश्चातवर्ती अतिक्रमण की दशा में 3 माह के सिविल कारावास का भागी होगा।

अतः प्रकरण मे अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है। अप्रार्थी के विरूद्व राजस्थान उपनिवेशन अधिनियम 1954 की धारा 22 के प्रावधानो के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाकर भू-राजस्व का 50 गुना 75 X 6 (6 वर्ष का लगान) = 450 रू अक्षरे चार सौ पचास रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते है।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली एवं मौके से बेदखली/ कब्जा भूमि बहक सरकार लेने बाबत बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शूमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 21.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(गजेन्द्र सिंह नैण)
तहसीलदार(राजस्व)
छतरगढ़

Scanned by CamScanner